संख्या-3214/1-10-2013-12(36)/13

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सहारनपुर।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 04 अक्टूबर 2013

विषय वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि का धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-306-1/सी0आर0ए0/दैवी आपदा/बाढ़/2013-14, दिनांक 07-09-2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सहारनपुर में वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना हेतु सिंचाई निर्माण खण्ड सहारनपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यों/परियोजनाएं जो जिला स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा अनुमोदित हैं के परिप्रेक्ष्य में रू0 10.00 लाख तक की लागत के कार्यों को छोड़कर, मांगी गयी/आंकलित कुल धनराशि रू0 4,11,29,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल धनराशि 2,05,64,500/- **(कुल रूपये दो करोड़ पांच लाख चौंसठ हजार पांच सौ मात्र)** आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत/मांगी गयी धनराशि (रू0 में)	स्वीकृत धनराशि (रू0 में)
1	एप्रोच रोड तटबन्ध के किमी0 1:900 पर क्षतिग्रस्त बन्ध की पुनर्स्थापना का कार्य।	16,30,000	8,15,000
2	जनपद सहारनपुर में यमुना नदी के दांये किनारे पर स्थित ढिक्का टपरी के स्टड संख्या-04 (सी0आर0एफ0) के पीछे व कटाव रोकने हेतु लॉग की पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य।	16,94,000	8,47,000
3	जनपद सहारनपुर में यमुना नदी के दांये किनारे पर स्थित ढिक्का टपरी के स्टड संख्या-04 व स्टड संख्या-06 के मध्य कटाव रोकने हेतु 04 नग कटर की पुनर्स्थापना।	15,09,000	7,54,500

सहारनपुर के रू0 10:00 लाख तक की लागत के अन्य अवशेष कार्यों, अन्य कार्यदायी विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यों/परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- 3214(1)/1-10-2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट **http//rahat.up.nic.in** पर अपलोड किये जाने हेतु ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सहारनपुर।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन ।
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।

करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जोगा।

6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है । यह स्थिति उचित नहीं है । निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वैबसाइट **http//rahat.up.nic.in** पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय । राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04-03-2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

9- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये ।

10- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

11- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत मामले में शासकीय पत्र संख्या-2906/1-10-2013-12(36)/13, दिनांक 12 सितम्बर, 2013 द्वारा वांछित सूचना/आख्या/प्रपत्र शासन को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि सिंचाई निर्माण खण्ड

२१

4	जनपद सहारनपुर में यमुना नदी के दांये किनारे पर स्थित ढिक्का टपरी के स्टड संख्या-04, 05 व 06 के मध्य एवं डाउन स्टीम में क्षतिग्रस्त टोवाल की पुनर्स्थापना का कार्य।	25,33,000	12,66,500
5	एप्रोच रोड तटबन्ध पर स्पर संख्या-05 मानपुर की पुनर्स्थापना का कार्य।	21,05,000	10,52,500
6	ब्लाक सढौली कदीम के ग्राम ननियारी में यमुना नदी के बायें किनारे पर बाढ़ निरोधक कार्यो की मरम्मत/ पुनर्स्थापना का कार्य।	42,26,000	21,13,000
7	ब्लाक सढौली कदीम के ग्राम धौलरा में यमुना नदी के बायें किनारे पर धौलरा बन्धे के कटाव एवं बोल्डर एवं सी0सी0 स्टड की मरम्मत का कार्य।	12,36,000	6,18,000
8	ब्लाक सढौली कदीम के ग्राम दबकोरा गांगरो राव के यमुना नदी के बायें किनारे पर बाढ़ निरोधक कार्यों की मरम्मत/ पुनर्स्थापना का कार्य।	24,14,000	12,07,000
9	ब्लाक सढौली कदीम के ग्राम चाटकी में मसकरा राव के दायें किनारे पर बाढ़ कार्यों की मरम्मत/ पुनर्स्थापना का कार्य।	17,32,000	8,66,000
10	ब्लाक सढौली कदीम के ग्राम उसण्ड में गांगरो राव के बायें किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों की मरम्मत/ पुनर्स्थापना का कार्य।	26,20,000	13,10,000
11	ब्लाक सढौली कदीम के ग्राम हिन्दुवाला में बड़कला राव के बायें किनारे पर बाढ़ निरोधक कार्यों की मरम्मत/ पुनर्स्थापना का कार्य।	12,21,000	6,10,500
12	ब्लाक सढौली कदीम के ग्राम जन्धेड़ी में गांगरो राव के बायें किनारे पर बाढ़ निरोधक कार्यों की मरम्मत/ पुनर्स्थापना का कार्य।	10,24,000	5,12,000
13	जनपद सहारनपुर में यमुना नदी के बायें किनारे स्थित ग्राम टोडरपुर भूकड़ी में स्टड संख्या-2 की पुनर्स्थापना का कार्य।	46,58,000	23,29,000
14	जनपद सहारनपुर में यमुना नदी के बायें किनारे स्थित ग्राम टोडरपुर भूकड़ी में स्टड संख्या-3 की पुनर्स्थापना का कार्य।	46,58,000	23,29,000
15	जनपद सहारनपुर में यमुना नदी के बायें किनारे स्थित ग्राम टोडरपुर भूकड़ी में स्टड संख्या-2 की पुनर्स्थापना का कार्य।	31,36,000	15,68,000

	तटबन्ध से जोड़ने हेतु लॉग की पुनर्स्थापना का कार्य।		
17	जनपद सहारनपुर में विकास खण्ड सढौली कदीम के ग्राम बहादरा एवं रावणपुर में गांगरो राव के दोनों किनारों पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों की पुनर्स्थापना का कार्य।	15,97,000	7,98,500
	योग	4,11,29,000	2,05,64,500

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूव होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय -42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा ।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जांच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/2012, दिनांक 25-10-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ् पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश संख्या 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14-10-2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त